

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारी:—जबर सिंह आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 05/2019

दायर दिनांक: 02/01/2019

उनवान

1. मनोज नागर आयु 26 वर्ष पुत्र धनराज नागर।
2. रीना कुमारी आयु 37 वर्ष पुत्री धनराज नागर।
3. सोना बाई आयु 36 वर्ष पुत्री धनराज नागर।
4. सन्तोष आयु 35 वर्ष पुत्री धनराज नागर जातियान धाकड़ निवासीगण मनोहरपुर तहसील अटरू जिला बारां राज०।

वादीगण

बनाम

1. धनराज नागर आयु 56 वर्ष पुत्र सूरजमल जाति धाकड़ निवासी मनोहरपुर तहसील अटरू जिला बारां राज०।
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज०।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :-

वादीगण:— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादी:— विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

आदेश

दिनांक : 17/01/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मनोहरपुर तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 56 की कुल किता 6 का रकबा 3.89 है० में प्रतिवादी क्रम 1 के आराजी खाता खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी 2072 से 2075 नक्शा ट्रेस, ग्राम पंचायत का वारिस प्रमाण पत्र, वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी की पैत्रिक सम्पत्ति है जो वादीगण के दादाजी सूरजमल के खाते दर्ज थी उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 को पिता सूरजमल से प्राप्त हुई थी तथा वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 की सन्ताने है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी को वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 अपने अपने हिस्से को कब्जा काशत करते चले आ रहे है। उक्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/5, 1/5 बनता है। जिसमें वादीगण का जन्म से ही अधिकार बनता है। मद नं० 1 में वर्णित आराजी में से वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी हिस्सा 1/5 को अलग से अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन प्रतिवादी क्रम 1 से किया तो प्रतिवादी क्रम ने वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में अलग से नाम दर्ज करवाने से साफ मना कर दिया तथा वादीगण ने दिनांक 18.08.2018 को प्रतिवादी क्रम 1 से फिर निवेदन किया कि हमारे हिस्से की आराजी 1/5, 1/5 को हमारे खाते राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज करवाया जावें। परन्तु

प्रतिवादी क्रम 1 ने फिर साफ मना कर दिया जबकि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज नहीं होने से वादीगण को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वादीगण कै0सी0सी0 नहीं बनवा सकते तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले सकते जिससे वादीगण को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि वादीगण का वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में जन्म से अधिकार बनता है। जिससे प्राप्त करने का वादीगण का अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नहीं है। वादीगण वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से अपने हिस्से 1/5 की आराजी को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वाद कारण प्रथमबार वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से अपने हिस्से की आराजी 1/5 को अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन करने पर तथा प्रतिवादी द्वारा मना करने पर व अन्तिम बार दिनांक 20.09.2018 को दोबारा साफ मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल मनोहरपुर तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद में आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी क्रम 2 बनाया है। वादग्रस्त आराजी ग्राम एवं माल मनोहरपुर तहसील अटरू जिला बारां में होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब, अटरू को इस बाद में आवश्यक पक्षकार प्रति0 क्रम 2 बनाया गया है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी क्रम 1 सादिर फरमाई जावें।

- (अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 1 के मुताबिक हिस्सा खाता संख्या 1/5, 1/5 राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में नाम दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।
- (ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा राजीनामा उपस्थित होकर इस आशय का पेश किया गया कि उपरोक्त उनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय में जेरकार है जिसमें आज तारीख पेशी नियत है। वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है। जो राजीनामा निम्न प्रकार है। ग्राम व माल मनोहरपुर तहसील अटरू की खाता संख्या 56 की कुल किता 6 की 3.89 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादीगण 1 लगायत 4 को व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/5 बनता है। इसलिए

मुताबिक राजीनामा अनुसार वादीगण 1 लगायत 4 व प्रतिवादी क्रम 1 को कृषक खातेदार घोषित किया जावें। खाता संख्या 56 की कुल किता 6 की 3.89 है0 आराजी में वादीगण 2. रिना कुमारी 3. सोना बाई 4. सन्तोष ने अपने सम्पूर्ण हिस्से की आराजी का हकत्याग बिना प्रतिफल लिए वादी क्रम 1. मनोज नागर व प्रतिवादी क्रम 1 धनराज नागर के पक्ष में कर दिया है। इसलिए वादी क्रम 1 व प्रतिवादी क्रम 1 को ग्राम मनोहरपुर की खाता संख्या 56 की कुल किता 6 की 3.89 है0 आराजी में हिस्सा 1/2, 1/2 का राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में कृषक खातेदार घोषित किया जावें।

अतः श्रीमान की सेवा में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य हुए राजीनामा को तस्दीक करने की कृपा करें।

राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया वादीगण की पहचान श्री महावीर नागर एड0 व प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री चन्दा लाल नागर एडवोकेट द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0फा0 किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया ग्राम मनोहरपुर की खाता संख्या 56 कुल किता 6 रकबा 3.89 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 1 धनराज के खाते दर्ज है। जो पिता सूरजमल के खाते की थी जो प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में दर्ज है। पैत्रिक सम्पत्ति होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपसी सहमति से वादीगण व प्रतिवादीगण क्रम 1 का हिस्सा 1/5, 1/5 में अपना नाम दर्ज करना चाहते है। तथा सहमति से बिना प्रतिफल प्राप्त किये वादी क्रम 2 रीना कुमारी 3 सोना बाई व 4 सन्तोष बाई द्वारा अपना हिस्सा 1/5, 1/5, 1/5 वादी क्रम 1 मनोज नागर व प्रतिवादी क्रम 1 धनराज नागर के पक्ष में करना चाहते है।

अतः न्यायहित में आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल मनोहरपुर की खाता संख्या 56 किता 6 रकबा 3.89 है0 में वादी क्रम 1 ल 4 व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/5-1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा वादी क्रम 2, 3, 4 द्वारा अपना हिस्से का हकत्याग वादी क्रम 1 व प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में करने से वादी क्रम 1 मनोज नागर व प्रतिवादी क्रम 1 धनराज नागर को 1/2-1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रहन का नोट खाते में दर्ज किया जावें। तहसीलदार अटरू नियमानुसार हकत्याग स्टाम्प शुल्क जमा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री जबर सिंह (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 05/2019

उनवान

1. मनोज नागर आयु 26 वर्ष पुत्र धनराज नागर।
2. रीना कुमारी आयु 37 वर्ष पुत्री धनराज नागर।
3. सोना बाई आयु 36 वर्ष पुत्री धनराज नागर।
4. सन्तोष आयु 35 वर्ष पुत्री धनराज नागर जातियान धाकड़ निवासीगण मनोहरपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. धनराज नागर आयु 56 वर्ष पुत्र सूरजमल जाति धाकड़ निवासी मनोहरपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनईX..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

मिनजानित मुदई रूबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल मनोहरपुर की खाता संख्या 56 किता 6 रकबा 3.89 है0 में वादी कम 1 ल 4 व प्रतिवादी कम 1 को 1/5-1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा वादी कम 2, 3, 4 द्वारा अपना हिस्से का हकत्याग वादी कम 1 व प्रतिवादी कम 1 के पक्ष में करने से वादी कम 1 मनोज नागर व प्रतिवादी कम 1 धनराज नागर को 1/2-1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रहन का नोट खाते में दर्ज किया जावें। तहसीलदार अटरू नियमानुसार हकत्याग स्टाम्प शुल्क जमा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।


(जबर सिंह)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 17.01.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	


(जबर सिंह)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)